

# कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : विद्युत/2016-17/797

दिनांक : 17.1.2017

## कार्यालय-आदेश


उदयपुर स्मार्ट सिटी योजना अन्तर्गत उदयपुर शहर में जो भवन नगरीय विकाय शुल्क के दायरे में नहीं आते हैं उन भवनों पर 1 KW – 5 KW तक का सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने के लिए नगर निगम द्वारा प्रोत्साहन 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में दिया जायेगा। RRECL द्वारा जारी रेट कोन्ट्रैक्ट ऑर्डर दिनांक 23.08.2016 में चयनित कम्पनियों के माध्यम से संयंत्र लगवाये जा सकते हैं। संयंत्र पर होने वाले कुल व्यय पर निम्नानुसार अंशदान देय होगा।

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. 30 प्रतिशत अंशदान | RRECL द्वारा            |
| 2. 10 प्रतिशत अंशदान | नगर निगम, उदयपुर द्वारा |

नगर निगम, उदयपुर द्वारा उपरोक्त कार्य पर अधिकतम 70 लाख रूपयें तक अंशदान के रूप में निम्नानुसार व्यय किया जायेगा।


- |                             | ROOF TOP AREA   |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. कुल अंशदान का 50 प्रतिशत | <1000 SQF T     |
| 2. कुल अंशदान का 35 प्रतिशत | 1000-2000 SQF T |
| 3. कुल अंशदान का 15 प्रतिशत | 2000-3000 SQF T |

RRECL द्वारा 30 प्रतिशत अंशदान देने एवं कम्पनी द्वारा स्थापित संयंत्र के फोटोग्राफ, दिनांक 02.01.2017 के पश्चात् जारी Disbursement Order की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात् ही नगर निगम द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान दिया जायेगा। इस बाबत अलग से कोई भी राशि आवंटित नहीं की जायेगी। यह अंशदान पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर दिया जायेगा।

  
(सिद्धार्थ सिहाग)IAS  
आयुक्त  
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर

  
(सिद्धार्थ सिहाग)IAS  
आयुक्त  
नगर निगम, उदयपुर